न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच प्रकरण संख्या 09/2017 (GCMS: 2017/000246)

1. **नरेश छाबड़ा** पुत्र श्री रामनारायण छाबड़ा जाति अरोड़ा आयु लगभग 52 वर्ष निवासी 368 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं सुपरिटैनडेन्ट इंजीनियर (एन.एच.), बीकानेर वृत,** सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यलय, बीकानेर (राजस्थान)
2. **सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी** (एन.एच.) अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर
3. **अंकुर मिगलानी** पुत्र श्री रमेश मिगलानी जाति अरोड़ा निवासी 22 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा एवं रामकुमार स्वामी उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को बार–बार आवाज् लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए, उनके द्वारा पूर्व में लिखित जवाब पेश किया हुआ है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (सूरतगढ–श्रीगंगानगर सैक्शन) के सड़क चौड़ी करने हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में प्रार्थी की चक 11 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6 में 0.062 है. एवं किला नम्बर 7 में 0.089 है. कुल 0.151 है. भूमि में से भूमि अवाप्त की गयी, जिसके संदर्भ में दिनांक 24.01.2014 को धारा 3ए का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया।

भूमि अवाप्ति हेतु धारा 3ए के नोटिफिकेशन आने से पूर्व ही प्रार्थी ने अपनी भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करावने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर, रिपोर्ट ली जाकर, संपरिवर्तन शुल्क राशि राजकोष में जमा करवाने पर श्रीमानजी द्वारा दिनांक 07.10.2013 को संपरिवर्तन आदेश जारी कर दिया था। धारा 3ए का नोटिफिकेशन दिनांक 24.01.2014 को आया था, इससे दो माह पूर्व ही प्रार्थी की अधिग्रहित की गयी भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो गयी थी।

श्रीमान्जी द्वारा संपरिवर्तन आदेश की पालना में तहसीलदार, श्रीगंगानगर एवं सरपंच ग्राम पंचायत 6एनएनपी को भिजवाई गयी थी, किन्तु दोनों अधिकारियों द्वारा संपरिवर्तन आदेश की पालना नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा समस्त औपचारिकताएं भूमि अधिग्रहण के गजट नोटिफिकेशन से पूर्व ही पूर्ण कर दी थी। समस्त परिस्थितियां एवं दस्तावेजी साक्ष्य अवार्ड दिनांक

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

01.09.2017 पारित करने से पूर्व स्पष्ट थी, लेकिन मुआवजा राशि का न्यूनतम अवार्ड जारी किया गया है, जिससे प्रार्थी असन्तुष्ट है। इसी संदर्भ में अवार्ड दिनांक 10.02.2016 में प्रार्थी की भूमि वाणिज्यिक विभव मानते हुए मुआवजा का निर्धारण किया गया था परन्तु प्रार्थी की अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक विभव ना होकर वास्तविक रूप से वाणिज्यिक दर पर होना चाहिए।

प्रार्थी द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही में प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक अधिकारी के समक्ष अपना क्लेम भूमि के वाणिज्यिक होने का प्रस्तुत किया था, लेकिन अवार्ड दिनांक 01.09.2017 जारी करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा गया है।

दिनांक 28.08.2017 को माननीय न्यायालय के आदेश होने के उपरान्त एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 01.09.2017 को बनाये जाने पर प्रार्थी की ओर से एक आवेदन श्रीमान एवं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष युक्तियुक्त कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर प्रार्थी से वाणिज्यिक इंतकाल की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रयास से इंतकाल दर्ज करवाकर प्रति प्रस्तुत किये जाने पर भी कोई युक्तियुक्त कार्यवाही प्रार्थी के आवेदन पर नहीं की गयी और ना ही अवार्ड वाणिज्यिक दर से बनाया गया।

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पुनः अवार्ड वाणिज्यिक दर से बनाया जाकर अन्डर प्रोटेस्ट दिये जाने की प्रार्थना की गयी, परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी का आवेदन दिनांक 21.11.2017 को निरस्त कर दिया गया।

अवार्ड दिनांक 10.02.2016 की प्रति प्राप्त होने पर कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राउमा, वृत बीकानेर की ओर से दिनांक 23.02.2016 को एक पत्र अवार्ड परीक्षण करने के उपरान्त मुख्य अभियंता (एन.एच.) सानिवि, राजस्थान, सरकार जयपुर को इस आश्य का प्रेषित किया कि अवार्ड दिनांक 10.02.2016 के सम्बन्ध में प्रकरण में निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जाना वांछनीय है, उक्त पत्र के साथ अवार्ड की प्रति संलग्न कर मुख्य अभियंता को पत्र प्रेषित कर दिया गया।

भूमि अवाप्ति के कार्यवाही अथवा अवार्ड पारित करने की विधिक कार्यवाही मे श्रीमान् न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है एवं जिला कलक्टर को राजष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत महज उसी परिस्थिति में किया जा सकता है जब एक पक्ष अवार्ड में पारित मुआवजा राशि से सहमत ना हो।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा बतौर आर्बिट्रेटर प्राप्त होने पर श्रीमानजी द्वारा बतौर आर्बिट्रेटर अपना निर्णय दिनांक 10.03.2016 में वर्णित किया कि सक्षम अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा अवार्ड राशि की गणना को सही माना था एवं दिनांक 21.04.2016 से पूर्व अवार्ड राशि भिजवाने हेतु लिखा गया।

दिनांक 26.09.2016 को अधिशाषी अभियंता, सानिवि, राउमा, खण्ड बीकानेर द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम की धरा 3जी(5) के अन्तर्गत अवार्ड दिनांक 10.02.2016 से असहमति व्यक्ति करते हुए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. दरों से निर्धारित किये जाने एवं इसे ही बाजार दर माने जाने के सम्बन्ध आदेश दिये जाने का अनुतोष चाहा गया।

श्रीमानजी द्वारा दिनांक 05.10.2016 को आर्बिट्रेटर अवार्ड पारित करते हुए वाणिज्यिक / औद्योगिक एवं कॉर्नर की भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड पारित कर, अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को मुआवजा तैय करने के निर्देश दिये।

श्रीमानजी के आदेश दिनांक 05.10.2016 की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 22.12.2016 को पारित किया। इस अवार्ड में भी प्रार्थी की अधिग्रहित भूमि को गैर मुमकिन वाणिज्यिक न मानते हुए वरन् कृषि मानते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया।

अवार्ड दिनांक 22.12.2016 पारित होने के उपरान्त रिवाईजड ड्राफ्ट अवार्ड होना कथन करते हुए दिनांक 27.03.2017 को 139 करोड़ रूपये अवार्ड अंकित करते हुए जारी किया गया। अवार्ड दिनांक 27.03.2017 में भी प्रार्थी की अधिग्रहित भूमि को वाणिज्यिक ना मानते हुए कृषि मानते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया।

अवार्ड दिनांक 27.03.2017 से पुनः असंतुष्ट होकर सार्वजिनिक निर्माण विभाग द्वारा श्रीमानजी के समक्ष प्रकरण संख्या 1 / 2017 अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस **प्रकरण में आवेदक के विधिवत् नोटिस की तामील ना हो पाने पर अपना समुचित पक्ष नहीं रख पाया**, लेकिन प्रार्थी की अधिग्रहित की जा रही भूमि के स्थान पर वाणिज्यिक होने के नाते मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित था। श्रीमानजी द्वारा विधि विरूद्ध पुनः प्रार्थना पत्र को स्वीकार

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

करते हुए दिनांक 28.08.2017 को आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित कर दिया एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी को दिये गये दिशा निर्देशों की पालना में अवार्ड जारी करने के आदेश दिये। जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा अवार्ड दिनांक 01.09.20217 को 1058531419/– रूपये का अवार्ड पारित कर दिया, जिसमें भूमि को वाणिज्यिक के स्थान पर कृषि मानकर मुआवजा दिया।

राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग अधिनियम के तहत धारा 3जी(5) के तहत नियुक्त आर्बिट्रेटर को प्रकरण एक बार निर्णित करने का प्रावधान है एवं आर्बिट्रेटर के द्वारा दर तैय कर आर्बिट्रल अवार्ड पारित कर दिया है तो दुबारा वही आर्बिट्रेटर पूर्व दर को घटाने अथवा बढाने का अधिकार नहीं रखता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जाये।

इसके विपरीत अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब में कथन किया है कि सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी अति.जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 10.02.2016 राशि रूपये 2,25,89,95,108.00/– अधिकारातीत होने के कारण माननीय आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 26.09.2016 को आर्बिट्रेशन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका अन्तिम निर्णय दिनांक 28.08.2017 को हुआ है।

सक्षम प्रधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 10.02.2016 राशि रूपये 2,25,89,95,108/– कोई अन्तिम अवार्ड नहीं था।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 01.05.2017 को आर्बिट्रेशन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, **जिसमें सभी 153 अनावेदकों को नोटिस जारी किये गये थे। अतः एक पक्षीय निर्णय नहीं था।** दिनांक 28.082017 के निर्णय के अनुसार पारित अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के अनुसार भुगतान कर दिया गया था।

धारा 3ए का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 24.01.2014 को हुआ व उसी के अनुसार भूमि की किस्म का निर्धारण राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार किया गया है। निर्णय दिनांक 28.08.2017 की पालना में पारित अवार्ड दिनांक 01.09.2017 में दर निर्धारण के अनुसार भुगतान किया गया है।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

विविध एन.एच प्रकरण संख्या 09/2017
नरेश कुमार छाबड़ा बनाम प्रो. डायरेक्टर एवं सुपरिटैनडेंट, इंजि. वर्गीन
(GCMS No. 2017/00246)
आदेश दिनांक 22.05.2026

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 28.08.2017 में आर्बिट्रेशन आवेदन 1/2017 के साथ अन्य आवेदन 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 व संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों एवं बहस के दौरान उठाये गये बिन्दुओं का समावेश कर व दर निर्धारण हेतु बनायी गयी कमेटी के आधार पर निर्णय दिया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.08.2017 को निर्णय दिया जा चुका है। अतः इस आधार पर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैने, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया है कि **सक्षम अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 10.02.2016 एवं 22.12.2016 को अवार्ड जारी** कर दिया था तो दिनांक 27.03.2017 को पुनः अवार्ड जारी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि धारा 3जी(5) के तहत आर्बिट्रेटर द्वारा एक ही बार अवार्ड जारी किया जा सकता है। आर्बिट्रेटर के अवार्ड के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरा पेश किया जा सकता है। **पूर्व में स्टेट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 01/2017 में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही** की गई है। प्रार्थी की भूमि दिनांक **07.10.2013 को वाणिज्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो गयी थी और धारा 3ए नोटिफिकेशन दिनांक 24.01.2014** जारी हुआ था, इसके बावजूद भी उसे नहरी कृषि भूमि के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया गया है, इसलिए उसे वाणिज्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि का मुआवजा दिया जाना चाहिए था।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि दिनांक 10.02.2016 को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि 56.8152 हैक्टेयर भूमि के लिए अवार्ड 2,25,89,95,108.00/— रूपये का जारी किया गया था, जिसे परियोजना निदेशक एवं अक्षीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा. वृत्त, बीकानेर द्वारा आर्बीट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश कर चुनौती दी गई थी, जिस पर आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.10.2016 के द्वारा कुछ निर्देशों के साथ सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ को संशोधित अवार्ड जारी करने हेतु सुनवाई के लिए रिमाण्ड किया गया था।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश दिनांक 05.10.2016 की पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने रिवाज्ड **ड्राफ्ट अवार्ड दिनांक 22.12.2016** को जारी किया, जो कोई अन्तिम अवार्ड नहीं था। सक्षम प्राधिकारी एवं **अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 27.03.20217 को अन्तिम अवार्ड जारी किया था।**

सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अवार्ड दिनांक 27.03.2017 के विरूद्ध प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम सुप्रीटैण्डिंग इंजिनियर, पी. डब्ल्यू.डी., एन एच सर्किल, बीकनेर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2017 से इस न्यायालय में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(5) के तहत चुनौति दी थी।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम सुप्रीटैण्डिंग **इंजिनियर, पीडब्ल्यूडी**, एन एच सर्किल, बीकनेर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2017 के प्रार्थना पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दिनांक 28.08.2017 को अवार्ड जारी कर, सक्षम अधिकरारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को निर्णय की पालना में अधिनियम के अनुसार पुर्नगणना करने के आदेश दिये गये।

आर्बिट्रेटर अवार्ड दिनांक 28.08.2017 की पालना में सक्षम अधिकरी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने दिनांक 01.09.2017 को पुर्नगणना कर राशि निर्धारित की गई थी। **इस प्रकार प्रार्थी का यह कथन कि आर्बिट्रेटर द्वारा पुनः अवार्ड जारी किया है, का बिन्दु खारिज किया जाता है।**

प्रार्थी ने अपने लिखित बहस में अवार्ड दिनांक 27.03.2017 से असतुष्ट होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 01 / 2017 अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में आवेदक को विधिवत् नोटिस तामील ना हो पाने के कारण अपना समुचित पक्ष नहीं रख पाना अंकित किया है, **जबकि उक्त प्रकरण संख्या 01 / 2017 में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 97 पर अंकित था और निर्णय दिनांक 28.08.2017 के पृष्ठ संख्या 9,10,15,18 एवं 24 पर क्रम संख्या 97 पर अंकित अप्रार्थी को सुनवाई निर्णय पारित किया गया है,** इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उल्लेखित प्रकरण संख्या 01 / 2017 में उसके विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया था, खारिज किया जाता है।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (वर्तमान 62) को 2 लेन मय पेव्ड सोल्डर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु **दिनांक 07.03.2011 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को नियुक्त किया गया था** और **दिनांक 10.01.2012 को जिला, तालुकों, पुलिस स्टेशन एवं गांव से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संगत प्रविष्टि का उल्लेख, भारत का राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया है।**

नरेश छाबड़ा पुत्र रामनारायण छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी 368 विनोबा बस्ती एवं अंकुर मिगलानी पुत्र श्री रमेश कुमार मिगलानी, जाति अरोड़ा निवासी 22 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर ने चक 11 एलएनपी , पटवार हल्का 11 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 58 / 83 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6 का 0.061 है., किला नम्बर 7 का 0.089 है. यथा कुल रकबा तादादी 0.150 है. भूमि रामकुमार पुत्र आदाराम जाति जाट से दिनांक 25.04.2013 को और उक्त चक 11 एलएनपी के खाता संख्या 58 / 83 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6 की 0.001 हैक्टेयर भूमि भी राजकुमार पुत्र आदराम जाति जाट से दिनांक 03.05.2013 को खरीद कर, उप पंजीयक, श्रीगंगानगर में पंजीयन हुआ था।

प्रार्थी नरेश छाबड़ा एवं अंकुर मिगलानी ने उक्त भूमि के संपरिवर्तन हेतु दिनांक 24.05.2013 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया था, शपथ पत्र के **बिन्दु संख्या 04 में अप्रार्थीगण ने निम्न प्रकार अंकन किया है:**

> यहकि उक्त भूमि सरकार द्वारा प्रतिबन्धित नही है और किसी न्यायालय में वाद नहीं चल रह है और ***राज्य सरकार द्वारा अवाप्ताधीन भूमि नहीं है।***

जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण हेतु दिनांक 07.03.2011 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) की नियुक्त की जा चुकी थी और **दिनांक 10.01.2012 को जिला, तालुकों, पुलिस स्टेशन एवं गांव से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संगत प्रविष्टि का उल्लेख, भारत का राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया जा चुका था, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि सरकार अवाप्ताधीन थी, परन्तु प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र में गलत अंकन किया है।**

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त के अतिरिक्त अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (एनएच), खण्ड बीकानेर ने भी अपने पत्रांक 1637 दिनांक 16.09.2013 के पैरा संख्या 2 व 3 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति के गांवों के नाम का **प्रकाशन भारतीय गजट में 3(a) के अन्तर्गत किया जा चुका है** तथा धारा 3(A) के प्रस्तावों के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रकाशन के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुके है। प्रकाशन के लिए भेजी गई प्रति संलग्न है। जिसमें खसरा नम्बर एवं रकबा का वर्णन है।
>
> अतः निवेदन है कि **उक्त Alignment में आने वाली भूमि का कोई भूमि रूपान्तरण न हो, इस संबंध में कृपया आपके अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को आदेश प्रदान करावें,** ताकि उक्त Alignment में कोई निर्माण न हो तथा भूअवाप्ति में कोई बाधा ना आये।

प्रार्थी द्वारा संपरिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से पूर्व ही भूमि रूपान्तरण न करने का पत्र प्राप्त हो चुका था, इसलिए प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि का रूपान्तरण अकृषि हेतु पूर्ण नहीं हुआ था। इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के अनुसार नहरी कृषि भूमि अनुसार जो मुआवजा दिया गया, वह सही है,। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस प्रकरण में प्रस्तुत अन्य समस्त प्रार्थना पत्र उक्तानुसार खारिज किये जाते है। **आदेश की** प्रति सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (एन.एच.) एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर